



27/4/18

पत्रावली CPC को धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 27/4/18 के स्थान पर दिनांक 18/5/18 को राजस्व लोक अदालत बेंच स्थान मीठे की शला के अक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पक्षकारों को सूचित हो।

महायुक्त कलकत्ता (300) 

18/5/18

पत्रावली द्वारा शहर लोक अदालत न्याय कार्य धारा 2018 के कैंप मीठे का शला में प्रेशा हुई। प्रतिवादीनी सं. 1 के प्रति अचराराण उपरोक्त बेंच में कहा कि वादीने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बेच दी है। उक्त वादांत द्वारा की गइयात्मक जांच रिपोर्ट प्रेशा करने के लिए तहसिलदार सेइवा को निर्देशित किया गया। तहसिलदार सेइवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त जो पत्रावली शामिल की गई। तहसिलदार सेइवा से प्राप्त जांच से स्पष्ट होवा है कि वादीने अपने हिस्से की भूमि बेच दी है। जिसकी गठल जांच रिपोर्ट के साथ प्रेशा हुई है। उक्त वादीने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि बेचने के कारण इस वाद की शला स्वरुप पर खारिज किया जावा है। पत्रावली के अनुसार लोक अदालत 2 फरवरी है।  महायुक्त कलकत्ता (300) घोहरन

अवकाश राम